बीकानेर नगर निगम

ekal foØ;] LFkku] fujh{k.k ,oa fu;a=.k mi&fof/k;ka&2010

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (राजस्थान अधिनियम संख्या 18) सन् 2009 की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (जे) तथा धारा 269 व 270 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर पालिका एतद् द्वारा निम्नलिखित उप–विधियॉं बनाता है–

बीकानेर नगर निगम (मॉस विक्रय,स्थान,निरीक्षण,एवं नियंत्रण) उपविधियॉं सन् 2009

(1) **laf{kIr uke] lhek ,oa izHkko&**

(क) ये उपविधि बीकानेर नगर निगम (मॉस विक्रय, निरीक्षण एवं नियंत्रण) उपविधियॉं–2010 कहलायेगीं।

(ख) यह उपविधि नगर निगम सीमा में तुरंत प्रभावशील होगीं।

(2) **fujlu&**

इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व इन उप–विधियों से संबंधित मामलों के लिए प्रचलित समस्त नियम, उपनियम, विनियम, आदेश, निर्देश, परिप़त्र अथवा अधिसूचनायें इन उप–विधियों के प्रभावशील होने पर निरस्त हो जावेगें, किन्तु उक्त नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, परिपत्र अथवा अधिसूचना के अनुसरण में की गई कार्यवाही इन उपविधियों के अंर्तगत क गई कार्यवाही समझी जावेगी।

(3) **ifjHkk"kk,a&**

जब तक विषय या प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी। इनके अतिरिक्त इन उपविधियों में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा वही होगी जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में व्यवहृत है।

i- अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम,2009 (राजस्थान अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।

ii- अध्यक्ष' से अभिप्रेत है महापौर।

iii- मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अभिप्रेत मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त।

iv- 'अनुज्ञाधारी' से तात्पर्य लाइसेंस के धारक से है।

v- 'लाइसेंस' से तात्पर्य इन उपविधियों के अंतर्गत दिये गये लाइसेंस से है।

vi- ''अनुज्ञा प्राधिकारी'' से तात्पर्य निगम के लिए Health & sanitation committee से है।

vii- निगम से तात्पर्य बीकानेर नगर निगम से है।

viii- ''मॉस'' से तात्पर्य बकरा, मुर्गा अथवा नर भेड़ का मॉस एवं मछलियों से है जो मनुष्यों के खाने के काम में आवें ।

ix- मॉस विक्रेता से तात्पर्य मॉस विक्रय करने वाले दुकानदार से है जिसमें दुकान का स्वामी, अभिकर्त्ता,सेवक, प्रबन्धक आदि सम्मिलित है।

x- ''प्रपत्र '' से तात्पर्य इन उपविधियों के संलग्न प्रपत्र से है।

(4) chdkuj uxj fuxe की सीमा में मॉस विक्रय के लिए नगर निगम समय समय पर ऐसे स्थान अथवा मौहल्लों के बारें में जहॉ लाइसेंस दिए जा सकते है निर्धारित कर समाचार–पत्र में विज्ञप्ति जारी करेंगी।

(i) कोई भी व्यक्ति नगर निगम की सीमा में किसी भी स्थान पर पशु–वध के लिए बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये न तो रखेगा और न ही उस स्थान पर वध करेगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति उस स्थान (slaughter house) पर पशु वध से पूर्व उस पशु को वध के लिए संबंधित नगर निगम के प्राधिकारी से पास करायेगा कि आया वह पशु वध के लिए योग्य तो है।

(5) dkbZ 0;fDr uxj fuxe dh lhek में किसी स्थान को मॉस विक्रय के लिए बिना लाइसेंस प्राप्त किए न तो रखेगा और न रख कर विक्रय कर सकेगा।

परंतु किसी धार्मिक त्यौहार अथवा रस्म की पूर्ति के लिए केवल बकरा एवं नर भेड़ नगर निगम् को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त कर वध कर सकेगा।

(6) ekal fcØh dh nqdku tks 0;fDr yxkuk चाहे अथवा जारी रखना चाहे उनको प्रपत्र–1 में प्रार्थना–पत्र, अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ दोहरा मानचित्र या मॉस दूकान के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान की अवस्था में, जलोत्सारण व्यवस्था को स्पष्टता प्रदर्शित करते हूए प्रस्तुत करेगा।

ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी इस बात का संतोष कर लेने के पश्चात् कि यह स्थान उक्त कार्य के लिये उपयुक्त है नियम (9) में अंकित निर्धारित फीस वसूल कर लाइसेंस अनुसूची (ब) में निर्धारित फार्म पर जारी करेगाा।

(7) <u>ykblsal dh vof/k%&</u>

इन उपविधियों के अधीन जारी प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी चाहे अनुज्ञा पत्र वर्ष के किसी भी भाग में लिया गया हो।

(8) <u>ykblsal dk uohuhdj.k%&</u>

1. प्रत्येक लाइसेंस का निर्दिष्ट शुल्क जमा कराये जाने पर नवीनीकरण किया जा सकेगा बशर्ते लाइसेंस का नवीनीकरण किए जाने में अनुज्ञा प्राधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति की जाने पर अनुज्ञाधारी को लिखित में कारण अंकित करते हूए तदनुसार सूचित किया जावेगा।
2. प्रत्येक लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर 15 अप्रैल तक उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके पश्चात 2/रू प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा लेकिन यह अतिरिक्त शुल्क लाइसेंस फीस से अधिक किसी भी दशा में नही होगा।
3. इन उप विधियों के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाइसेंस किसी को हस्तांतरित नही किया जावेगा।

(9) ykbl l 'kYd%&

1. मॉस विक्रय की दूकान — 500/रू प्रति वर्ष
2. मछली विक्रय — 500/रू प्रति वर्ष
3. मॉस व मछली की सम्मिलित दुकान — 1000/रू प्रति वर्ष

(10) vuKk ikf/kdkjh dh fu;fDr%&

जब तक परिषद् इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ एतदर्थ अपनी शक्तियों का प्रत्योजन अन्यथा न करे मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनुज्ञा प्राधिकारी होगा।

(11) ykbl l ftl LFkku के लिए दिया गया है उसी स्थान पर मॉस विक्रय किया जायेगा। स्थान परिवर्तन के लिए निगम् की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा और ऐसी स्वीकृत के पश्चात ही स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(12) iR;d vuKk/kkjh dk कर्तव्य होगा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थय अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सेनेटरी इन्सपेक्टर को मॉस विक्रय व पशु विक्रय स्थान के निरीक्षण के लिए प्रत्येक सुविधा देगा ।

(13) vuKk&ikf/kdkjh को इन उप विधियों में से किसी उप विधि की अवहेलना करने के विरूद्ध कार्यवाही करने, लाइसेंस जब्त करने, निलबित करने का अधिकार होगा।

(14) iR;d vuKk/kkjh dk fuEukfdr 'krk dh ifjikyuk djuk vfuok; gkxk&

(अ) दुकानों का फर्श एवं दिवारें 5 फुट की ऊचॉई तक सीमेंट प्लास्टर अथवा पत्थर अथवा अन्य ऐसे पदार्थ की बनाना होगा जो कि पानी न सोंखें और दुकान धुलाई आसानी से हो सके।

(आ) दुकाने में कोई व्यक्ति न तो भोजन बनावेगा और न ही निवास, सोने, उठने, बैठने के लिए काम में लेगा।

(इ) कोई पशु पक्षी दूकान में नही रखा जावेगा।

(ई) प्रत्येक मॉस विक्रेता अपनी दुकान को प्रातः 6 से 7 बजे के बीच और सांय 6 से 7 बजे के बीच पानी से धुलाई कर साफ करेगा और प्रत्येक समय स्वच्छ हालत में रखेगा।

(उ) दुकान से निकलने वाले कुड़े करकट एवं अन्य पदार्थों को दुकानदार को एक डिब्बे में रखना होगा जो कि विशेषतः इसी कार्य के लिए रखा जावेगा।

(ऊ) मॉस को धुल, मक्खियॉ आदि से सुरक्षित रखना होगा और यह किसी बंद डिब्बे या बक्स में बंद नही किया जावेगा। मॉस स्वच्छ और हवा एवं रोशनी में रखना होगा। मॉस जालीदार अलमारी अथवा फ्रीज में रखना होगा जिससे मक्खियॉ आदिं उसके अन्दर प्रविष्ट न कर सकें तथा मॉस को इस प्रकार पर्दे में रखना होगा कि अन्य आने जाने वाले व्यक्तियों को दृष्टिगोचर न हो। बासी, बदबूदार तथा सड़ा हुआ मॉस जो मनुष्यों के खाने योग्य न हो, विक्रय नही किया जावेगा।

(ए) प्रत्येक व्यक्ति जो मॉस विक्रय दुकान में कार्य करेगा वह हर हालत में अपने कपड़े स्वच्छ हालत में रखेगा।

(ऐ) ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पर खुले घाव हो अथवा कोढ अथवा किसी छूत के फैलने वाला कोई रोग से पीड़ित हो दूकान मे ंप्रवेश नही करेगा।

(ओ) गन्दे पानी के निकास के लिए कोई उचित व्यवस्था अथवा प्रबन्ध करना होगा।

(औ) मॉस काटने के औजार तथा तख्त आदि काम में लेने से पूर्व और काम में लेने के बाद अन्त में साफ कर रखने होगें।

(अं) लाइसेंस को दुकान में ऐसे स्थान पर टॉगना होगा जहॉ वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।

(अः) प्रत्येक मॉस विक्रेता अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड पर एक पक्के रंग द्वारा अनुज्ञाधारी का नाम मॉस विक्रय की दर तथा किस प्रकार का मॉस हलाल या झटका जैसा भी हो लिखकर टॉगेगा।

(15) i'k o/k&xg में वध के पश्चात् जों नगर निगम की सीमा में ही मॉस विक्रय किया जावेगा तथा पशु वध गृह पर ही बकरा, नर भेड़ वध कराना आवश्यक होगा। पशु वध गृह पर नही पहूॅचने पर उस रोज मॉस विक्रय नही होगा। एक वर्ष से कम आयु का अथवा नगर निगम द्वारा अस्वीकृत पशु का वध नही किया जायेगा।

(16) iR;sd ekal foØsrk की दुकान वर्ष में दो बार मार्च एवं अक्टुबर में और अनुज्ञा प्राधिकारी के आदेश के उपरान्त सफेदी करवाना आवश्यक होगा।

(17) (अ) प्रत्येक अनुज्ञाधारी को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें उनके द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये गये पशु निरीक्षण अधिकारी द्वारा पास किये गये पशु, फीस जो जमा कराई गई एवं प्रतिदिन वध किये गये पशुओ का ब्यौरावर हिसाब रखा जावेगा।

(आ) ऐसा रजिस्टर नगर निगम के उप–विधि 12 में वर्णित किसी भी अधिकृत कर्मचारी द्वारा मॉगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(18) ftl vuqKk/kkjh के नाम जितने नग (पशु) होगें उतने ही नग उसकी दुकान पर उपलब्ध होने चाहिए यदि नग विक्रय हो चुके हो तो उनका अवशेष (पुॅछं) निरीक्षण के समय उपलब्ध होगा।

(19) dksbZ Hkh ,slk O;fDr जो नगर निगम की अनुज्ञा या अनज्ञप्ति के बिना वधशाला का उपयोग करेगा वह ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपये से कम नही होगा किन्तु दो हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जावेगा।

(20) ykbZlsal ds fuyEcu djus उसको रोकने अथवा वापस लेने के नगर निगम के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से उसकी प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को कम करके 30 दिन के भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा। अपील प्राधीकारी का आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के दायित्व कें अधीन नही होगा।

(21) ykblsal [kks tkus गल जाने अथवा फट जाने की दशा में 50/रू फीस जमा कराने पर नवीन लाइसेंस (प्रतिलिपि) जारी की जा सकेगी।

(22) eakl foØ; dh nqdku o i'kq o/k xg dks cn djuk– निम्नांकित दिवसों व सरकार द्वारा घोषित अन्य दिवसों को मॉस विक्रय की दुकान व पशु वध बंद रहेंगे।

1. गणेश चतुर्थी	2. अनंत चतुदर्शी	3. ऋषि पंचमी
4. गॉधी निर्वाण दिवस	5. महाशिवरात्री	6. गांधी जयन्ती
7. महात्मा बुद्ध जयन्ती	8. राम नवमी	9. महावीर जयंती
10 कृष्ण जन्माष्टमी	11 गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	12 स्वतंत्रता दिवस (15अगस्त)
13 कार्तिक पुर्णिमा	14 दीपावली	15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य दिवस

(23) vfHk;kstu %& इन उपविधियों का किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार से उल्लंघन करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी अभियोजन की स्वीकृति देने में सक्षम होगा।

(24) le>kSrk%&

इन उप– विधियों के प्रयोजनार्थ राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 के उपबंधो के अनुसरण में निगम् द्वारा अपराध का अभिसंधान या समझौता किया जा सकेगा।

बीकानेर नगर निगम

i।i =&1

श्री अनुज्ञा प्राधिकारी,
बीकानेर नगर निगम

निवेदन है कि में ....पिता श्री...
.निवासी... बीकानेर नगर निगम की सीमा में वार्ड संख्या.....................................
मौहल्ला..पर स्थिती मकान, दुकान नं,.....................
.... में मॉस का विक्रय करना चाहता हूँ। अतः लाइसेंस प्रदान करने की कृपा करें।

मैं राजस्थान नगर निगम मॉस विक्रेता स्थान, निरीक्षण एवं नियंत्रण उपविधियॉ वर्ष 2009 के उपबंधों का पूर्णतया पालन करूगॉ।

निवेदक

दिनॉक........................

हस्ताक्षर...
पूरा पता..

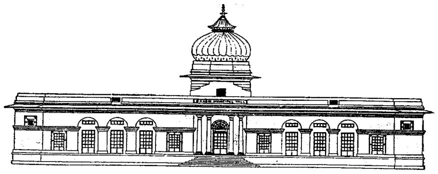

बीकानेर नगर निगम

vul ph&c

ykblsal Qkel

श्री...और उनके अधिकृत नौकर एवं प्रतिनिधी जिनके नाम पीछे अंकित है का वार्ड नं0.. मौहल्ला... ...... रास्ता.. घर स्थिति मकान अथवा दुकान नं0................................में दिनॉक से . ...दिनॉक तक....................................के लिए यह लाइसेंस फीस रू.................................... जमा करायें जाकर मॉस विक्रय के लिए लाइसेंस राजस्थान नगर निगम (मॉस विक्रय) स्थान, निरीक्षण, एवं नियंत्रण उप–विधियॉ 2009 में अंकित शर्तो के साथ दिया जाता है।

vk;Dr ¼i'kklu½
chdkuj uxj fuxe